प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

रिट याचिका संख्या (729/2003)

1. कर्ण वीर अजमानी पिता स्व सुंदर लाल अजमानी, उम्र ४९ वर्ष, पेशा – स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेवा, रायगढ़,। निवासी– सोनार पैरा, मुंशी गली, रायगढ़ (छ.ग .)
2. कैलाश कुमार अग्रवाल पिता स्व हरबिलास अग्रवाल उम्र लगभग 46 वर्ष पेशा – व्यापार, निवासी– सोनार पारा, मुंशी गली, रायगढ़ (छ.ग.)

...... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय, डी.के. परिसर, शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.)
2. कलेक्टर, रायगढ़ (छ.ग.)
3. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ (छ.ग.)
4. टाउन इंस्पेक्टर, सिटी कोतवाली, रायगढ़ (छ.ग.)

... . उत्तरवादीगण

याचिकाकर्तागण की ओर से : श्री ए.एन.भक्ता, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री यशवंत सिंह, शासकीय अधिवक्ता

मौखिक आदेश

(16 दिसंबर 2005 को पारित)

1. याचिकाकर्ता का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है – याचिकाकर्तागण किराए के मकानों में निवासरत हैं जो कि जामा मस्जिद ट्रस्ट, रायगढ़ के स्वामित्व में हैं और जिनमें शुष्क शौचालय बने हुए हैं। इन शुष्क शौचालयों की सफाई नगर निगम, रायगढ़ के कर्मचारी नियमित रूप से जुलाई 2001 तक करते थे। परंतु 'सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सनिर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम 1993' के अधिनियमन को दृष्टिगत रखते हुए, अगस्त 2001 से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

नगरपालिका अधिकारियों ने यह सेवा बंद कर दी है, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारी, रायगढ़ की अदालत में वाद दायर किया गया। उस न्यायालय ने नगरपालिका अधिकारियों को शुष्क शौचालयों की नियमित सफाई करने का आदेश दिया। इसी दौरान, नगर निगम, रायगढ़ के आयुक्त ने याचिकाकर्ताओं को शुष्क शौचालयों को फ्लश शौचालयों में परिवर्तित करने हेतु नोटिस जारी किया। इस स्थिति में, याचिकाकर्ताओं ने जामा मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वह शुष्क शौचालयों को फ्लश शौचालयों में परिवर्तित कराएं, किंतु अध्यक्ष ने इस पर कोई उत्तर नहीं दिया। इसके पश्चात आयुक्त, नगर निगम रायगढ़ द्वारा याचिकाकर्ताओं एवं ट्रस्ट अध्यक्ष दोनों को एक बार पुनः शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करने हेतु नोटिस दिया गया। चूंकि ट्रस्ट अध्यक्ष ने फ्लश शौचालय के निर्माण के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की, अतः याचिकाकर्ताओं ने 12.01.2003 को एक अधिवक्ता नोटिस (अनुलग्नक – P/5) उन्हें भेजा, जिसमें उल्लेख किया गया कि यदि 16.01.2003 तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, तो याचिकाकर्तागण बैंक से ऋण लेकर स्वयं फ्लश शौचालयों का निर्माण करेंगे, और इस पर हुआ समस्त व्यय एवं ब्याज ट्रस्ट से वसूल किया जाएगा तथा यह किराए से समायोजित किया जाएगा। जामा मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा नोटिस का उत्तर न दिए जाने के कारण, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 ने 20.01.2003 को निर्माण कार्य प्रारंभ किया। तभी नगर कोतवाली, रायगढ़ के टाउन इंस्पेक्टर (उत्तरवादी क्रमांक 4) ने उन्हें बुलाकर मौखिक रूप से निर्माण कार्य बंद करने का आदेश दिया। ट्रस्ट के अध्यक्ष और उनके भाई ने आयुक्त, नगर निगम रायगढ़ के आदेश की वैधता को चुनौती दिया और निर्माण कार्य जारी रखने पर शांति भंग करने की धमकी दी। इस पर याचिकाकर्ता क्रमांक 1 ने पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ (उत्तरवादी क्रमांक 3) को आवेदन प्रस्तुत कर निर्माण कार्य के दौरान दिनांक 21–1–03 तक शांति बनाए रखने हेतु अपने अधीनस्थ को उपयुक्त निर्देश देने की प्रार्थना की, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने कलेक्टर, रायगढ़ (उत्तरवादी क्रमांक 2) को 20.01.2003 को आवेदन प्रस्तुत किया, जिन्होंने दो दिन कार्य रोकने का सुझाव दिया, ताकि वे शिकायत पर गौर कर सकें, किंतु उन्होंने भी आगे कोई कदम नहीं उठाया। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं ने संविधान के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में दिनांक 18.02.2003 को रिट याचिका दायर की।

2. रिट याचिका में जामा मस्जिद ट्रस्ट, रायगढ़ के अध्यक्ष को उत्तरवादी नहीं बनाया गया था। किंतु बाद में याचिकाकर्ताओं द्वारा I.A. संख्या 9099/2005 प्रस्तुत कर आयुक्त, नगर निगम रायगढ़, भारत सरकार द्वारा सचिव शहरी विकास विभाग, नयी दिल्ली, अनुविभागीय दंडाधिकारी/ कार्यपालक दंडाधिकारी जिला रायगढ़ और जामा मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष को उत्तरवादी बनाए जाने का अनुरोध किया गया। परंतु, मेरी विचाराधीन राय में यह विवाद अनुच्छेद 226 के अंतर्गत संक्षिप्त प्रक्रिया में अंतिम एवं निर्णायक रूप से नहीं सुलझाया जा सकता, बल्कि सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही इसका समाधान हो सकता है, अतः इस आवेदन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं तथा याचिकाकर्ताओं के अभिवचनो का अवलोकन किया।

4. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ताओं और ट्रस्ट अध्यक्ष के मध्य प्रश्नगत संपत्ति में फ्लश शौचालय निर्माण के अधिकार को लेकर गंभीर विवाद है। अभिवचनो से यह भी दर्शित होता है की जो विवाद न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया है वह विवाद तथ्यों पर आधारित है और पूर्णतः दीवानी प्रकृति का है। यह मामला याचिकाकर्ताओं के मूलभूत अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित नहीं है। चूंकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय की शक्ति वैवेकिक है, न्यायलय द्वारा संविधान के अनुछेद 226 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर विचार करने से इस आधार पर इंकार करना न्यायोचित होगा की याचिकाकर्ता द्वारा दावाकृत अधिकार संविधान के अनुछेद 226 के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया में स्थापित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके लिए वाद में उपलब्ध साक्ष्य की विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है। यह सिद्धांत उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों में प्रतिपादित किया गया है जैसे: **भारत संघ बनाम घौस मोहम्मद**[1]**, सोहन लाल बनाम भारत संघ**[2]**, बोकारो और रामगुर लिमिटेड बनाम बिहार राज्य**[3]**, गुणोवंत बनाम**

[1] AIR 1961 SC 1526
[2] AIR 1957 SC 529
[3] AIR 1963 SC 516

नगरपालिका समिति[4]**, इंदु भूषण गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[5]| अनुच्छेद 226 का उद्देश्य केवल स्थापित अधिकारों का प्रवर्तन है, न कि अधिकार की स्थापना करना। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत याचिका को वाद में नहीं बदला जा सकता| यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि निर्णय के लिए तथ्य के विवादित प्रश्नों के मामले में, सिविल वाद में उचित कार्रवाई होगी। तथ्य के विवादित प्रश्नों को पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने और एक–दूसरे द्वारा प्रतिपरीक्षण के लिए गवाहों को प्रस्तुत करने की अनुमति दिए बिना हल नहीं किया जा सकता है। इसलिए, सामान्य तौर पर, तथ्य का विवादित प्रश्न की जाँच अनुच्छेद 226 के अंतर्गत संक्षिप्त कार्यवाही में नहीं की जा सकती है, विशेष रूप से जहां वैकल्पिक पर्याप्त उपाय उपलब्ध है, जैसे कि जहां संपत्ति पर मुकाबला दावों के गुण–दोष, या स्वत्व का विवादित प्रश्न उठता है या जहां याचिकाकर्ता को अनुतोष देने के लिए विवादित तथ्यों की जांच की जानी है, या जहां न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर याचिकाकर्ताओं को अनुतोष देना न्यायालय के लिए संभव नहीं है; या जहां विवादित तथ्यों की जांच की आवश्यकता होती है और तथ्य के प्रश्नों पर निष्कर्ष दर्ज करना शामिल होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त कारणों के आधार पर, बिना यह निर्णय लिए कि याचिकाकर्ता को प्रश्नगत संपत्ति पर फ्लश शौचालय का निर्माण करने का अधिकार है या नहीं, यह रिट याचिका ख़ारिज की जाती है। याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्रता दी जाती है कि वे सक्षम सिविल न्यायालय में विधिसम्मत उपाय जैसे कि घोषणा, निषेधाज्ञा, हर्जाना, आदि की मांग कर सकते हैं अथवा उत्तरवादी निगम के समक्ष उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वाद की परिस्थितियों को देखते हुए, प्रत्येक पक्ष अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

सही/–
(मुख्य न्यायाधीश)

[4] AIR 1970 SC 802
[5] AIR 1979 SC 1857

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ANURAG AGRAWAL

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur